



**BHULEKH**  
Uttar Pradesh

### खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : उत्तर धौना	परगना : (लखरऊ)	वर्षांत : लखरऊ	कनपद : लखरऊ	फसली वर्ष : 1425-1430	भाग : 1	खता संख्या : 00150
खतिदर का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अद्वेष	रिप्यूनी		
श्रेणी : 1-क / भूमि जो सक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।						
नागेन्द्र कुमार अग्रवाल / प्रभाती लालअग्रवाल / नि.ए.12 निरालानगर लखरऊ	374	0.7250				
योग	1	0.7250				

**Disclaimer:** उक्त ऑनलाइन मान अवरुक्तनाराय है, तरकील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से खरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।  
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.








-- 2 --

03DD 232890



कल्लू, राजाराम, भागीरथ, कुन्ना, पुत्र गण स्व० श्री राम  
 सह्याय श्रीमती नन्हकी, पत्नी स्व० श्री राम सह्याय,  
 निवासी गण ग्राम उत्तरधौना, परगना, तहसील व जिला  
 लखनऊ, जिन्हे आगे "विक्रेता गण" कहा गया है स्वयं जो इस विलेख में

"प्रथम पक्ष" हैं, के द्वारा नागेन्द्र कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री प्रभाती लाल  
 अग्रवाल, निवासी स-12, निरास्तानगर, लखनऊ, जिन्हे आगे "क्रेता" कहा  
 गया है, और जो इस विलेख में "द्वितीय पक्ष" है, के पक्ष में निष्पादित  
 किया गया है :-

विदित हो कि विक्रेता वरासतन मालिक, कायिल व भाँबज  
 व दखील, खाता सतीनी संख्या-235, खतरा संख्या-374 शूतीन सौ चौहत्तर  
 रकबा 0.725 हेक्टेयर ! शून्य दशमलव सात दो पाँच हेक्टेयर ! स्थित ग्राम  
 उत्तरधौना, परगना, तहसील व जिला लखनऊ के सेंक्रमणीय भूमिधर हैं, एवं

शंभाराम  

 नि. सं. 5002  
 नि. सं. 5003  
 नि. सं. 5004  
 नि. सं. 5005



14 NOV 2003

कोमलिकाश/सं. व. ल. र.  
लखनऊ कोषागार  
कागजात सभ्य-क

-- 3 --

कागजात सरकारी में विक्रेता गण का नाम दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी विक्रेता गण के तहत कच्चे

8173F

व दखल मालिकाना में आज भी मौजूद है। जिसे हर प्रकार से -  
 उपयोग, उपभोग, भारग्रस्त व अन्तरित आदि करने के समस्त अधिकार  
 विक्रेता गण को प्राप्त है। आराजी उपरोक्त हर प्रकार के भार व -  
 अन्तरण जैसे विक्रय, दान, जमानत, बन्धक, वृण, मुकदमा, कुर्की, ठिडगी  
 व इकरारनामा आदि से बरी व पाक साफ है। चूंकि विक्रेता गण को  
 रूपों की आवश्यकता है, इसीलिये विक्रेता गण उसी आराजी खसरा  
 नम्बरी व पैमाइशी मजकुरे बाला महदूदे जेल, मिमिलक्यत व हकीयत  
 अपनी के, मय कुल हक व हकूक व हदूद दाखिली व खारिजी व जो

राजाराम

वि.प. २००३

10.11.2003

19.11.2003

19.11.2003

19.11.2003



14 NOV 2003

जोमाधिकारी/सं.को.अ.  
लखनऊ कोभागार  
कोभागार लखनऊ

कुछ भी उससे सम्बन्धित है, बिना छोड़े किसी चीज़ व हक व 81737

जुज के खुब सोच व समझ कर अपनी खुशी व रजामन्दी से, अपने स्वस्थ  
 मन मीस्तिष्क की दया मे बिना किसी डर व दबाव के डिलएवज मु0  
 रुपया 5,05,000-00 § रुपया पाँच लाख पाँच हजार § मात्र कि आधे  
 जिसके मु0 रुपया 2,02,500-00 § रुपया दो लाख दो हजार पाँच सौ §  
 होते हैं हरत क्रेता/द्वितीय पक्ष कतई विक्रय कर दिया और कुल विक्रय  
 मूल्य अन्त में परिष्कृत प्रकार से विक्रेता गण ने, क्रेता उपरोक्त से वसूल पाकर  
 कछनाय दावत मालिकाना बजाये कछना स्वैय विक्रेता गण ने क्रेता उपरोक्त  
 को अपने समान बखुशी करा दिया । अब विक्रेता गण व वारिस्तान विक्रेता  
 गण का कोई दावा व हक बाबत आराजी क्या शुद्धा उपरोक्त व विक्रय  
 मूल्य उपरोक्त में बाकी नही रहा और ना ही भविष्य में होगा ।

श.पाराज

19-11-03

19-11-03

19-11-03

19-11-03



अगर कोई व्यक्ति दावा करे तो उसका दावा व हक इस विक्रय

81736


पत्र के समक्ष निष्प्रभावी होगा। अगर किसी की दायेदारी व

हकदारी व उज्जदारी से उपरोक्त आराजी का कुल या कुछ भाग क्रेता  
उपरोक्त के कब्जे से निकल जाये या कब्जा न मिले ,तो ऐसी प्रत्येक  
स्थिति में क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय  
मूल्य मरा हर्जा, खर्चा, लागत व नुकसान वगैरह विक्रेता गण की जात  
खास व हर प्रकार की जायदाद घल व अघल व वारिसान विक्रेता गण  
से द्वारा न्यायालय पसूल कर लेवे। इसमें विक्रेता गण व वारिसान विक्रेता  
गण को आपत्त करने का अधिकार न होगा।

अतः यह विक्रय पत्र स्वेच्छा से लिख दिया ताकि प्रमाण  
रहे व साक्ष्य स्वस्व प्रयुक्त किया जा सके।

राजशाम





90540

5

उपरोक्त विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग १ फेजाबाद रोड १

से 1-कि० मी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रीत आराजी राजमार्ग, राष्ट्रीय राज मार्ग, 9-मीटर

या इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी ब्य बुदा उपरोक्त में कोई पेड़, कुआँ, ट्यूबवेल,

कमरा, झोपड़ी आदि नहीं है।

विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य

नहीं हैं।

आराजी ब्य बुदा उपरोक्त पर स्थायी या अस्थायी

निर्माण नहीं है।



10/10/2003

राजाशम



A. S. J.



A. S. J.



A. S. J.




-- 7 --

आराजी ब्य बुदा का कुल

रकबा 0.725 हेक्टेयर यानी कि 1.7915

एकड़ है, जिसकी बाजारी मालियत बीहताब



रुपया 4,00,000-00 प्रति एकड़ की दर से मालियत 7,16,600-00

रुपया होती है।

चूंकि विक्रय मूल्य से बाजारी मालियत अधिक है, अतः

बाजारी मालियत पर स्टाम्प शुल्क रूपया 71,700-00 अदा किया जाता है।

पौहददी आराजी ब्य बुदा उपरोक्त :-


पूरब- नाला बादहू कृषि भूमि

पश्चिम- खारा सं-384 व 385

राजाराम



Handwritten signature or mark.



उत्तर- छात्रा संख्या-371, 372 व 373

दक्षिण- छात्रा संख्या-375, 376 व 377

कुल विक्रय मूल्य रूपया 5,05,000-00 रूपया पाँच लाख पाँच हजार।

प्राप्त करने का विवरण :-

- 1- रूपया 1,01,000-00 द्वारा चेक नं०-109963, दिनांक 13-1-2004
- 2- रूपया 1,01,000-00 द्वारा चेक नं०-109962, दिनांक 13-1-2004
- 3- रूपया 80,000-00 द्वारा चेक नं०-109964, दिनांक 13-1-2004
- 4- रूपया 80,000-00 द्वारा चेक नं०-109965, दिनांक 13-1-2004
- 5- रूपया 80,000-00 द्वारा चेक नं०-109966, दिनांक 13-1-2004



राजाराज

वि. 3/2/04



1/2/04



1/2/04



1/2/04


71



-- 9 --

6-रुपया 21,000-00 द्वारा चेक नं०-099605

दिनांक 15-11-2003



7-रुपया 21,000-00 द्वारा चेक नं०-099618

दिनांक 1-12-2003


8-रुपया 21,000-00 द्वारा चेक नं०-099617 दिनांक 1-12-2003

समस्त चेक बैंक आफ इण्डिया, शाखा महानगर, लखनऊ इस प्रकार विक्रेता गण ने क्रेता उपरोक्त से समस्त विक्रय मूल्य प्राप्त किया।





अब क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह आराजी उपरोक्त का नामान्तरण/दाखिल खारिज अपने नाम करा लेवे ।




लखनऊ -

दिनांक 13-01-2004

हस्ताक्षर गणहान:-

नं01: राजेश कुमार शर्मा जी को पत्र मध्य  
कोषागार लखनऊ में दाखिल कराया गया  
लखनऊ

नं02: श्रीमती/श्री को. का. कोषागार  
लखनऊ



प्राप्तकर्ता -

श्री २० बी० सिंह "एडवोकेट"  
दीवानी कचेहरी, लखनऊ।  
लाइसेंस टाईपिस्ट  
कमल श्रीवास्तव  
दीवानी कचेहरी, लखनऊ ।

क्रेता